निर्णय ब–इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

प्रकरण संख्या 47/2025 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री जयराम गुर्जर प्रवर्तन अधिकारी, सांभर लेक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स न्यू कमल जनरल व किराना हार्डवेयर स्टोर जरिये भीमाराम पुत्र श्री श्योराम तेतरवाल निवासी बीड वाली ढाणी, पंचकोडिया, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला, जयपुर ।
2. हीरालाल तेतरवाल पुत्र श्री श्योराम तेतरवाल निवासी बीड वाली ढाणी, पंचकोडिया, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला, जयपुर ।

अप्रार्थी

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 36 भरे हुये एवं 11 खाली कुल 47 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 482.8 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 23.01.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.2024 को घरेलू गैस सिलण्डरों का बिना अनुज्ञापत्र के अवैद्य भण्डारण एवं कय–विकय करने की सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्देशन पर बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ के अप्रार्थी संख्या 2 हीरालाल तेतरवाल पुत्र श्री श्योराम तेतरवाल के बीड वाली ढाणी पंचकोडिया स्थित मकान पर पहुंच कर अप्रार्थी हीरालाल तेतरवाल की उपस्थिति में जांच की गई। जांच करने पर मकान के पास स्थित बाड़े में 14.2 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 26 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल॰पी॰जी॰ 227.2 कि॰ग्रा॰ मौके पर पाये गये, जिनके वैद्य दस्तावेज/अनुज्ञापत्र मांगने पर उपलब्ध नहीं कराये गये। साथ ही अप्रार्थी मैसस न्यू कमल जनरल व किराना हार्ड वेयर स्टोर की जांच अप्रार्थी भीमाराम तेतरवाल की उपस्थिति में करने पर 14.2 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 21 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 255.6 कि॰ग्रा॰ मौके पर मिले जिनके वैद्य दस्तावेज/अनुज्ञापत्र मांगने पर उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार कुल 47 घरेलू गैस सिलेण्डर में से 36 घरेलू सिलेण्डर भरे हुये एवं 11 घरेलू सिलेण्डर खाली पाये गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य भण्डारण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किये जाने से जब्तशुदा 14.200 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 47 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 482.8 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 01.10.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित हो कर जबाब पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच अप्रार्थी संख्या 2 हीरालाल तेतरवाल पुत्र श्री श्योराम तेतरवाल के बीड वाली ढाणी पंचकोडिया स्थित मकान के पास स्थित बाडे में 14.2 किग्रा क्षमता के 26 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 227.2 कि॰ग्रा॰ मौके पर पाये गये । साथ ही अप्रार्थी मैसर्स न्यू कमल जनरल व किराना हार्ड वेयर स्टोर की जांच पर 14.2 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 21 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 255.6 कि॰ग्रा॰ मौके पर मिले है जिनके वैद्य दस्तावेज/अनुज्ञापत्र मांगने पर उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार कुल 47 घरेलू गैस सिलेण्डर में से 36 घरेलू सिलेण्डर भरे हुये एवं 11 घरेलू सिलेण्डर खाली विभिन्न कम्पनियों के पाये गये है। मौके पर अप्रार्थीगण ने पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स के बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये एवं ना ही कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य भण्डारण पाये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस परिसर में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य रूप से क्रय विक्रय एवं भण्डारण का कार्य किया जाता है जो कि द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन है। प्रार्थी हीरालाल तेतरवाल के कब्जे से पूर्व में भी दिनांक 05.02.2024 को 48 घरेलू गैस सिलेण्डर्स एंव 07 व्यवसायिक सिलेण्डर जब्त किये गये थे जिन्हें मान्य न्यायालय ने सुरक्षा की दृष्टी से उचित नही माना, परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा अपने दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 11.03.2024 को गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने का आदेश पारित किया गया था । अब अप्रार्थीगण के कब्जे से बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पुनः 47 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये जाने पर जब्त किया गया है । घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना अनुज्ञापत्र/स्वीकृति के क्रय विक्रय एवं भण्डारण नहीं किया जा सकता इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर अवैद्य भण्डारण किया जाकर निर्धारित राशि से अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाता है। इससे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है । अतः जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थीगण ग्रामीण इलाके में निवास करते है तथा ग्रामीण इलाके में ही अपनी छोटी मोटी दुकान चला कर अपना जीवन यापन करते है । अप्रार्थीगण का ग्राम के समस्त निवासियों से अच्छा व्यवहार है जिसके कारण ग्रामवासी जो आस पास की ढाणियों में रहते है जो ज्यादातर अपनी खेती काश्त करने, मजदूरी एवं अन्य कामों में लगे हुए रहते है। जिसके कारण समय पर घर पर नहीं मिलते व गैस सिलेण्डर की गाड़ी गांव में आने पर समय पर मौजूद नहीं रहने के कारण अपने अपने गैस सिलेण्डर उत्तरदाता की दुकान के बाहर व अन्दर रख कर चले जाते है साथ में अपने गैस सिलेण्डर की

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डायरी एवं कूपन रख कर जाते है जिससे जो गैस ऐजेन्सी की गाड़ी आती है वह उत्तरदाता की दुकान पर आ कर डायरियों एवं कूपनों के अनुसार सिलेण्डर पुनः उत्तरदाता की दुकान पर रख जाती है तथा उक्त गैस ऐजेन्सी की जो गाडी आती व सात दिन में एक बार ही आती है जिसके कारण समस्त ग्रामवासियों के सिलेण्डर उत्तरदाता की दुकान पर रखे रहते है। उत्तरदाता अपनी दुकान पर आने वाले ग्रामवासियो एवं मिलने जुलने वाले तथा अन्य आमजन की केवल मात्र सेवा करता है व सिलेण्डरों निगरानी रखता है तथा ग्रामवासियों की डायरियां एवं दस्तावेजात को संभाल कर रखता है एवं उत्तरदाता एक तरह सो सेवाभाव का कार्य करता है । उत्तरदाता उक्त सेवा के बदले ग्रामवासियों एवं अपने मिलने जुलने वालों से किसी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं करता है। उत्तरदाता ने तो केवल मात्र सेवा करने का कार्य किया है । ग्रामवासियों को गवाह के तौर पर डायरी व कूपन के साथ उपस्थित कर सकता है। इसलिए उत्तरदाता की दुकान के बाहर व अन्दर से जब्त किये गये ग्रामवासियों के घरेलू गैस सिलेण्डर कनेक्शनधारकों को वापस लौटाये जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका बाबी दिनांक 21.09.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 हीरालाल तेतरवाल पुत्र श्री श्योराम तेतरवाल के बीड वाली ढाणी पंचकोडिया स्थित मकान के पास स्थित बाडे में 14.02 किग्रा क्षमता के 26 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 227.2 कि॰ग्रा॰ मौके पर पाये गये है व अप्रार्थी मैसर्स न्यू कमल जनरल व किराना हार्ड वेयर स्टोर पर 14.2 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 21 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 255.6 कि॰ग्रा॰ मौके पर मिले जिनके वैद्य दस्तावेज/अनुज्ञापत्र मांगने पर उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार कुल 47 घरेलू गैस सिलेण्डर में से 36 घरेलू सिलेण्डर भरे हुये एवं 11 घरेलू सिलेण्डर खाली पाये गये। गैस सिलेण्डर्स को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के क्रय विक्रय या भण्डारण नहीं किया जा सकता । जब्त सिलेण्डर ग्रामवासियों के होना बताया है, किन्तु इसकी पुष्टि में अप्रार्थीगण ने गैस सिलेण्डर्स के बारे में कोई वैद्य दस्तावेज पेश नहीं किया एवं ना ही किसी उपभोक्ता ने अपनी मिल्कियत का दावा पेश किया है। अप्रार्थी हीरालाल तेतरवाल के कब्जे से पूर्व में भी दिनांक 05.02.2024 को 48 घरेलू गैस सिलेण्डर्स व 7 वाणिज्यक सिलेण्डर पाये गये थे जिन्हें दिनांक 11.03.2024 को उपभोक्ताओं को रिलीज किये जाने के आदेश दिये गये। इससे अप्रार्थीगण का आदतन गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य भण्डारण कर क्रय विक्रय किये जाने की पुष्टि होती है। इतनी मात्रा में गैस सिलेण्डर व एलपीजी का भण्डारण किया जाना सुरक्षा की दृष्टी से उचित नहीं है। अवैद्य भण्डारण से कभी भी हादसा होकर जान माल की हानि हो सकती है। घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य भण्डारण पाये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस परिसर में गैस सिलेण्डरों का अवैद्य रूप से क्रय विक्रय व भण्डारण का कार्य किया जाता है जो कि द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। इससे अप्रार्थीगण की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है एवं Mens rea पाया जाता है। अतः विभिन्न कम्पनियों के जब्तशुदा 14.2 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 47 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 482.800 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰, ( 36 भरे हुये एवं 11 खाली ) को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्तशुदा 14.2 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 47

जिला कलक्टर
जयपुर

घरेलू गैस सिलेण्डर मय 482.800 कि.ग्रा. एल.पी.जी., ( 36 भरे हुये एवं 11 खाली )को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त गैस सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 01.10.2024 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner